भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3530
दिनांक 13 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र

3530. श्रीमती रूपकुमारी चौधरीः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) छत्तीसगढ़ के ग्रामीण, जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों, विशेषकर आकांक्षी जिलों में आवश्यक दवाओं, नैदानिक सेवाओं और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों (पीएमबीजेके) की संख्या कितनी है और इन केंद्रों का भौगोलिक वितरण क्या है;

(ख) उक्त राज्य में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स (एमएमयू) और टेलीमेडिसिन सेवाओं के विस्तार के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए वित्तीय आवंटन की राशि कितनी है और उक्त सेवाओं के अंतर्गत कवर किए गए ग्रामीण और जनजातीय लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) आवश्यक दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, नकली और घटिया दवाओं के संचलन को रोकने और ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी के लिए की गई लेखापरीक्षा और निरीक्षण तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आगामी वर्षों में छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए सरकार की चरणबद्ध कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना योजना के अंतर्गत, 28.02.2026 तक देश भर में कुल 18,646 जन औषधि केंद्र (जेएके) खोले गए हैं, जिनमें से छत्तीसगढ़ राज्य में 352 केंद्र खोले गए हैं, जिनमें उक्त राज्य के आकांक्षी जिलों में 73 केंद्र शामिल हैं।

(ख): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों में मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) और टेलीकंसल्टेशन सुविधाओं के लिए राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) की स्वीकृतियों का विवरण निम्नलिखित है:

(राशि लाख रुपए में)

वित्तीय वर्ष	**मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) पर एसपीआईपी अनुमोदन**	**टेलीकंसल्टेशन सुविधाओं पर एसपीआईपी अनुमोदन**

2022-23	558.00	409.50
2023-24	558.00	409.50
2024-25	2947.78	409.50

नोट: उपरोक्त आंकड़े राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रबंधन अभिलेख (एफएमआर) के अनुसार हैं और अनंतिम हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) को दुर्गम और कम पहुंच वाले दूरदराज के गांवों में सेवाएं प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। एनएचएम-एमआईएस रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 30.09.2025 की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ में 30 एमएमयू तैनात किए जा चुके हैं।

छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों सहित देश भर के सभी कार्यरत आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) में उपलब्ध टेलीकंसल्टेशन सेवाओं से लोगों को अपने घरों के पास ही विशेषज्ञ सेवाओं तक पहुंचने में सहायता मिलती है जिससे शारीरिक पहुंच की समस्या, सेवा प्रदाताओं की कमी और निरंतर परिचर्या की सुविधा जैसी चिंताओं का समाधान होता है। एएएम पोर्टल पर राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दिनांक 31.01.2026 की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ में 44.05 लाख टेलीकंसल्टेशन किए जा चुके हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 (जनवरी 2026 तक) के दौरान ग्रामीण मोबाइल मेडिकल यूनिट (आरएमएमयू) (ओपीडी) के अंतर्गत कुल 11,93,488 ग्रामीण और आदिवासी लाभार्थियों को कवर किया गया।

(ग): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश में औषधियों का विनिर्माण, बिक्री और वितरण मुख्य रूप से औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा लाइसेंसीकरण और निरीक्षण प्रणाली के माध्यम से विनियमित किया जाता है। लाइसेंसधारी को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के तहत निर्धारित लाइसेंस की सभी शर्तों का पालन करना आवश्यक है। देश में विनिर्मित औषधियों, चाहे वे ब्रांडेड हों या जेनेरिक, या घरेलू या अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए हों, को गुणवत्ता के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, 1945 में निर्धारित मानकों का पालन करना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत राज्य और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षकों को लाइसेंस प्राप्त परिसरों का निरीक्षण करने और आपूर्ति श्रृंखला से औषधियों के नमूने लेकर उनकी गुणवत्ता की जांच करने का अधिकार है। यदि औषधि का नमूना गुणवत्ता जांच में विफल रहता है और गैर-मानक गुणवत्ता का/नकली/मिलावटी पाया जाता है, तो संबंधित औषधि नियंत्रण प्राधिकरण औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करता है।

इसके अलावा, छत्तीसगढ़ सरकार के खाद्य एवं औषधि प्रशासन नियंत्रक ने भी सूचित किया है कि आवश्यक औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और बाजार में नकली और घटिया औषधियों के प्रचलन को रोकने के लिए औषधि निरीक्षकों द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में नियमित निरीक्षण और नमूनाकरण किया जाता है।

जेएके में उपलब्ध औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, ताकि मरीजों के स्वास्थ्य से समझौता न हो, निरंतर निरीक्षण, परीक्षण और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए ठोस तंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) *केवल विश्व स्वास्थ्य संगठन-उत्तम विनिर्माण पद्धति (डब्ल्यूएचओ-जीएमपी) प्रमाणित संयंत्रों से आपूर्ति:* केवल वे संयंत्र जन औषधि दवाइयों की आपूर्ति के लिए पात्र हैं जिन्हें केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा डब्ल्यूएचओ-जीएमपी अनुपालन के रूप में प्रमाणित किया गया है।

(ii) *सभी दवा बैचों के 100% पूर्व-परीक्षण के बाद ही वितरण:* पीएमबीआई के मालगोदामों में आपूर्ति किए गए 100% बैचों से परीक्षण के लिए यादृच्छिक रूप से नमूने लिए जाते हैं और गुणवत्ता परीक्षण में उत्तीर्ण होने के बाद ही दवाओं को जेएके को आपूर्ति के लिए भेजा जाता है।

(iii) *केवल उत्तम प्रयोगशाला पद्धतियों (जीएलपी) के अनुरूप प्रयोगशालाओं में परीक्षण:* नमूनों का परीक्षण केवल राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त और समय-समय पर निरीक्षण की गई प्रयोगशालाओं में किया जाता है और इसके अलावा, इन इन प्रयोगशालाओं का जीएलपी अनुपालन के लिए पीएमबीआई द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।

(घ): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और छत्तीसगढ़ सहित शहरी, ग्रामीण और जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों में गरीब और कमजोर वर्गों सहित सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता, वहनीयता और पहुंच में सुधार के लिए सहायता प्रदान करता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करती है।

भारत सरकार द्वारा एनएचएम के तहत देश में चलाई जा रही विभिन्न पहल में आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) का संचालन, निशुल्क औषधि सेवा पहल, मुफ्त निदान सेवा पहल, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आशा कार्यकर्ता, 24x7 सेवाएं और प्राथमिक रेफरल सुविधाएं, प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलाप, एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) रणनीति, टीबी मुक्त भारत अभियान और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम शामिल हैं।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-अभिम) के तहत 64,180 करोड़ रुपये का बजट उप-स्वास्थ्य केंद्रों, शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के लिए अवसंरचना विकास, ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों के लिए सहायता, एकीकृत जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और गहन परिचर्या अस्पताल ब्लॉकों के लिए सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखता है।

पंद्रहवें वित्त आयोग ने राज्यों में स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से पांच वर्षों (2021-2026) की अवधि में कुल 70,051 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है।
